

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

संख्या-2/एल-165/2023- /स्वा०, पटना, दिनांक / /2025

डा० आरफा नाजमीन, दन्त चिकित्सक, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नाथनगर, भगलपुर द्वारा दिनांक-28.03.2022 से 29.04.2022 तक कुल-33 (तैंतीस) दिन उपभोगित अवकाश अवधि को वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-2441(25) दिनांक-20.12.2023 द्वारा प्राप्त अवकाश आदेयता एवं बिहार सेवा संहिता के नियम-230 एवं 248 के आलोक में उपार्जित अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है।

2. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह० / -

(विद्यानन्द जमादार)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-2/एल-165/2023- 398(2) पटना, दिनांक 11 / 03 /2025

प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एवं हक०) बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि: असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, भागलपुर/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नाथनगर, भगलपुर/कोषागार पदाधिकारी, भागलपुर/डा० आरफा नाजमीन, दन्त चिकित्सक, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नाथनगर, भगलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई०टी०मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।